जनजातियों का राजनीतिक अभिविन्यास: मध्य प्रदेश की जनजातीय समाज का एक अध्ययन

श्री रामराज सिंह
शोधार्थी,सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,वैढन
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

सारांश- भारत दुनिया का सबसे बडा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की विशिष्टता है-विविधता। अनेक विविधताओं में सामाजिक विविधता की परिचायक जनजातियाँ भी हैं जो कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में निवासरत हैं। मध्यप्रदेश जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से एक समृद्ध प्रदेश है। इसमें जनजातियों का एक विशाल समूह वास करता है। अन्य समाजों से पृथक इनकी सामाजिक मान्यताएँ व प्रथाएँ हैं। जनजातीय समाज की इसी विशिष्टता ने उनके राजनीतिक ज्ञान को भी प्रभावित किया है, जिससे उनकी राजनीतिक समझ, उनकी अभिरूचि, जागरूकता एवं दृष्टिकोण में भिन्नता परिलक्षित होना स्वाभाविक है। इन जनजातियों का राजनीतिक अभिविन्यास मध्यप्रदेश की राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही यह उनके विभिन्न आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी प्रभाव डालता है। जनजातियाँ, अपनी विशेषता के कारण राज्य की राजनीतिक समस्याओं और मांगो को अलग तरीके से देखती हैं तथा अपने हितों को प्राथमिकता में रखती हैं। इसीलिए जनजातियों के अभिविन्यास का अध्ययन उनके समृद्ध संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक संस्थानों के साथ-साथ संवैधानिक प्रक्रिया, राज्य और सरकार की नीतियाँ, सामाजिक और आर्थिक विकास आदि के साथ देखा जाना चाहिए।

बीज शब्द- जनजाति, राजनीतिक अभिविन्यास, लोकतंत्र, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक मान्यता, प्रथा, विविधता, राजनीतिक परिवेश, राजनीतिक संस्कृति।

उद्देश्य:- प्रस्तुत अध्ययन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के उस भाग पर निहित है जिनकी पहचान आधुनिक समाज व भारतीय संविधान में जनजाति के रूप में की जाती है। लोकतंत्र की मूल धारणा ही समावेशी सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था में निहित है। सशक्त लोकतंत्र की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि समावेशी समाज के प्रत्येक हिस्से की समान भागीदारी सुनिश्चित हो। समाज के लोगों के राजनीतिक अभिवृत्ति व दिग्विन्यास से ही राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उनके विचार एवं दृष्टिकोण को समझा जा सकता है। इससे उनकी राजनीतिक अभिरूचि, ज्ञान एवं सहभागिता के विभिन्न प्रभावी कारकों को समझने में मदद मिल सकती है जिसका योग किसी न किसी रूप में आदर्श लोकतंत्र की स्थापना है।

प्रस्तावना:- भारत को विस्तृत भौगोलिक भू-भाग के साथ विशाल लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं समृद्ध सामाजिक व्यवस्था के लिए विश्व में पहचाना जाता है। इसकी समृद्ध व्यवस्थाओं एवं सामाजिक विविधता ने जहाँ एक ओर विचार एवं व्यवहार को व्यापकता प्रदान की है तो वहीं यह लोगों के समक्ष अनेक चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की है। यही कारण है कि आज समाज एवं नागरिकों के कर्तव्य में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय संविधान ने अनेक सामाजिक विभेदों को समाप्त करने के लिए सार्थक प्रयास किए है किन्तु इस सामाजिक एकत्व को प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने के लिए लोगों में लोकतांत्रिक मूल्यों की पहचान एवं उसमें उनकी आस्था को बढ़ाना नितांत आवश्यक है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह स्थापित कर्तव्य है कि वह सामाजिक विविधता के अंतर्भावना को जीवंत रखते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास करें, यह तभी संभव है जब लोगों में इसके प्रति सामाजिक व राजनैतिक जागरूकता विकसित हो।

मध्यप्रदेश राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से कुल निवासरत जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत भाग अनुसूचित जनजातियों का है। यहाँ जनजातीयों के वर्गीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो 24 प्रमुख जनजातियाँ निवासरत हैं जिनकी उपजातियों को मिलाकर कुल संख्या 90 होती है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्यप्रदेश में जनजातीयों की कुल जनसंख्या 1.53 करोड़ है। यह भारत के किसी भी राज्य की तुलना में कुल जनसंख्या का सर्वाधिक संख्यात्मक एवं मात्रात्मक अनुपात है। इस प्रकार मध्यप्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहाँ हर पांचवाँ व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है। मध्यप्रदेश में जनजातीय समाज का भौगोलिक वितरण एकसमान नहीं है किन्तु अलग-अलग क्षेत्रों में जनजातियों की भिन्न-भिन्न सामाजिक समुदाय असमान रूप से निवासरत हैं। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अलीराजपुर जिले में तथा सबसे कम भिंड जिले में पाई जाती है। भौगोलिक असमानता, जनजातीय समाज की विविधता, सांस्कृतिक अनेकता आदि ने इनके दृष्टिकोण को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वर्तमान संदर्भ में भारतीय समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अनेक प्रयास हो रहे हैं, किन्तु सामाजिक जागरूकता के अभाव में लक्ष्य को हासिल कर पाना अत्यंत दुर्गम कार्य है। राजनीतिक जागरूकता ही व्यक्ति के दृष्टिकोण व समझ को बढाता है जिससे लोगों का राज्य, समाज और राजनीतिक व्यवस्था में उनके योगदान को सुनिश्चित किया जाता है। राजनीति के प्रति यह दृष्टिकोंण ही उनका राजनीतिक अभिविन्यास है। दूसरे शब्दों में, राजनीतिक अभिविन्यास 'राजनीतिक व्यवस्था के प्रति आस्था, समझ एवं दृष्टिकोण का निर्माण है।' राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति अभिविन्यास के माध्यम से व्यक्ति उस व्यवस्था का अंग बनता है जिससे सहभागी लोकतंत्र को बल मिलता है। यह संविधान तथा संवैधानिक तंत्रों के प्रति अभिरूचि व उसमें आस्था व विश्वास की भावना को बढ़ाता है। इसके माध्यम से राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक जागरूकता, ज्ञान एवं राजनीतिक संस्कृति को उस राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित किया जाता है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण हो जाने के पश्चात् यह आवश्यक हो जाता है कि समाज के प्रत्येक हिस्से का आँकलन किया जाए कि इनमें राजनीतिक मूल्यों की स्थापना में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है।

मध्यप्रदेश के जनजातियों के विशेष संदर्भ में अनेक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि यहाँ जनजातियों के अभिविन्यास का निर्माण उनकी सामाजिक स्थिति एवं स्थानीय मुद्दों पर आधारित होता है। प्रदेश में जनजातियों में भी पर्याप्त विविधता देखने को मिलती है। प्रमुख जनजातियों में गोंड, भील, बाघेली, सहरिया, भडावर, कोल, कान्हर और भूमिया आदि शामिल हैं जिनकी स्थानीय संस्कृति, जरूरतें, इच्छा एवं आकांक्षाएँ होती हैं। यही कारण है कि स्थानीय मुद्दों का व्यापक प्रभाव इनके राजनीतिक ज्ञान एवं दृष्टिकोंण पर पड़ता है। मध्यप्रदेश की जनजातियों में राजनीतिक ज्ञान के विकास के प्रमुख कारकों या मुद्दों में निम्न का शामिल होना पाया जाता है-

समुदाय का विकासः- जनजातियों के राजनीतिक नेताओं एवं उनके संगठनों का मुख्य लक्ष्य समुदाय का विकास को सुनिश्चित करना होता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के मुद्दे हो सकते हैं। यदि राजनीतिक व्यक्तियों एवं संगठनों द्वारा जनजातियों के विकास के लिए कार्य किए जाते हैं तो इसका प्रभाव केवल समुदाय के

विकास तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि सम्पूर्ण समुदाय का सदस्यों का जुडाव राजनीतिक व्यवस्था के साथ बढता है तथा राजनीतिक सहभागिता को बल मिलता है। व्यवस्था के प्रति सम्मान पनपता है एवं संगठनों के विश्वसनीयता का भाव स्वतः उत्पन्न होता है।

भूमि संबंधी संघर्ष और मुद्दे:- बहुत सी जनजातियाँ भूमिहीन एवं भूमिकर होती हैं और उन्हें उनकी भूमि से जुड़े मुद्दे जैसे भूमि का हक एवं संरक्षण, जल-जंगल-जमीन आदि के हक के बारे में अपने अधिकारों की रक्षा करने की जरूरत होती है। जनजातीय समुदाय के लोग अपनी विभिन्न समस्याओं जैसे समान अधिकार, आदिवासी विकास और शिक्षा आदि से संबंधित मुद्दों से जनजातीय समुदाय अत्यधिक सक्रिय होते हैं और इसके लिए वे निरंतर संघर्ष होता है जिसका उनके अभिविन्यास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

सांस्कृतिक मुद्दे:- जनजातियों की अपनी विशेष सांस्कृतिक परंपराएँ, रीति-रिवाज, धरोहर और संस्कृति को सुरक्षित करने की चुनौतियाँ होती हैं। इससे यह समुदाय अत्यंत संवेदनशील रूप से जुड़े होता है।

सामाजिक न्याय:- जनजातियों के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय के लिए राजनीतिक अभिविन्यास महत्वपूर्ण होता है।

आरक्षण नीतियाँ:- जनजातियों के लिए आरक्षण नीतियाँ उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए अहम होती हैं। जनजातियों के नेता इसे लेकर अपने समुदाय के हित में काम करते हैं। जनजातियों का राजनीतिक अभिविन्यास राज्य सरकार के साथ संघर्षपूर्ण होता है, क्योंकि वे अपने अधिकारों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए लड़ते हैं। जनजातियों के नेता राज्य सरकार की नीतियों पर प्रभाव डालते हैं और उन्हें अपने समूह के हित में नीतियाँ बनाने की मांग करते हैं।

जनजातीय संस्कृति एवं परंपरा:- जनजातियों की जीवनशैली, संस्कृति और परंपरा, उनके राजनीतिक अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं।

जनजातियों की सामाजिक संरचना एवं संगठन:- जनजातियों की सामाजिक संरचना, ग्रामीण समुदाय की संगठनों, पंचायती राज, आदिवासी समितियाँ आदि उनके राजनीतिक अभिव्यक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक अभिविन्यास के निर्माण में सामाजिक संगठनों का विशेष योगदान होता है। ये संगठन समुदायों से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं, समर्थन प्रदान करते हैं तथा सरकार से अधिकारों की मांग करने में मदद करते हैं। इन मुद्दों और अध्ययन के आधार पर जनजातीय समुदायों के राजनीतिक अभिविन्यास का विश्लेषण करके उनकी समृद्धि, सामाजिक समानता तथा सामर्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

आर्थिक मांगें:- जनजातियों की आर्थिक मांगें समय-समय पर राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं, जिससे उनकी राजनीतिक चेतना की अभिव्यक्ति होती है।

आरक्षण एवं समरसता:- जनजातियों को आरक्षण एवं समरसता के माध्यम से राजनीतिक समावेशन में सहयोग मिलता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व:- जनजातीय समुदायों को राजनीतिक प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उन्हें विधानसभा एवं लोकसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए चुनावी क्षेत्रों को अलग-अलग तरीके से बाँटा जाता है। इन समुदायों के प्रतिनिधि राजनीतिक प्रक्रिया में अपने मुद्दों एवं मांगों को उठाते हैं।

सांविधानीकरण:- जनजातीयों के लिए संविधान के तहत आरक्षण तथा उन्हें समाज में समानता के लिए विशेष विधाएँ बनायी गयी हैं। इसके माध्यम से भी राजनीतिक समुदायों में अपने हित एवं अधिकार के संबंध में जागरूक करते हुए सबल बनाया जाता है जो उनमें राजनीतिक चेतना के विकास में सहायक होता है। भारतीय संविधान ने भी जनजातियों के उत्थान के लिए अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। अनुच्छेद 17 समाज में अस्पृश्यता का निषेध करता है। साथ ही नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को यह आदेश दिया गया है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनके अर्थ संबंधी हितों की रक्षा करे। मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा करने एवं उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए 2003 में 89 वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनु. 330 एवं 332 लोकसभा एवं विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। संविधान में प्रदत्त संरक्षण एवं विकास के प्रावधानों से जनजातियों में सुरक्षा का भाव आया है। वे स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों की मांग कर अपने लिए विकास का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर रहे हैं और समाज की मुख्य धारा से जुडने का प्रयास कर रहे हैं। जनजातीय समुदाय के लोग संवैधानिक प्रक्रिया से अवगत हो रहे है और समाज में बढ-चढ कर अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम हो रहे हैं।

शिक्षा और ज्ञान:- शिक्षा और ज्ञान के माध्यम से जनजातियों के राजनीतिक अभिव्यक्ति तथा उनके अभिविन्यास में सहयोग मिलता है। राजनीतिक अवधारणा के निर्माण में इन सबके साथ शिक्षा की भूमिका सबसे प्रभावी एवं प्राथमिक है। शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति की चेतना जागृत होती है तथा उसमें समझ विकसित होने से नया दृष्टिकोण पनपता है। राजनीतिक अभिमुखीकरण एक ऐसा ही राजनीति के प्रति दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षा के योगदान को तार्किक विश्लेषण के आधार पर समझा जा सकता है। "मध्यप्रदेश की जनांकिकीय आँकड़े 2011 की जनसंख्या के आधार पर 153.16 करोड़ जनसंख्या जो कि राज्य की कुल जनसंख्या के 21.10 प्रतिशत भाग के शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रदेश की आयोजना मद का 21.10 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत प्रावधानित किया जाता है।" राज्य की जनजातीय शिक्षा की सुदृढ व्यवस्था के लिए मध्यप्रदेश जनजातीय कार्य विभाग कार्यरत है। जनजातीय कार्य विभाग को शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश की सम्पूर्ण जनजातीय क्षेत्रों को 89 जनजातीय विकासखंडों के रूप में पहचान की गई है तथा ऐसे सभी आदिवासी विकासखंडों में प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर सेकेन्डरी तक की शिक्षा का दायित्व विभाग के पास है। इन सभी प्रयासों से जनजातीय अंचल में शिक्षा के स्तर में काफी विस्तार हुआ है।

संचार व आवागमन:- तीव्र संचार क्रांति ने समूचे विश्व को एक वैश्विक गांव के रूप के रूप में समेट दिया है। बढते संचार के साधनो यथा टीव्ही, इंटरनेट, मोबाइल फोन तथा डिजिटल दुनिया ने सूचनाओं के आदान-प्रदान को अत्यंत सरल एवं सुगम बना दिया है। आज दुनिया का कोई क्षेत्र नहीं बचा जो संचार क्रांति के पहुँच से बाहर हो। साथ ही शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान, कला तथा सरकरी गतिविधियों को सूचना एवं तकनीकी के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका सीधा प्रभाव मनुष्य के चेतन मन पर पडता है जिससे उसकी अभिवृत्ति में परिष्कार होता है। राजनीतिक अभिविन्यास का संबंध भी इसी से है। इस प्रकार मध्यप्रदेश के जनजातीय समुदायों के राजनीतिक अभिविन्यास का अध्ययन उनके समृद्धि, सामाजिक समानता और सामर्थ्य के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

निष्कर्ष:-मध्यप्रदेश के जनजातीय समुदाय के राजनीतिक अभिविन्यास का अध्ययन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समानता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यह अध्ययन उन समुदायों के

प्रतिनिधित्व, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष, संविधानीकरण, पारंपरिक संरक्षण और सामाजिक संगठन के विकास जैसे मुद्दों पर ज्ञान प्रदान करता है।

इस अध्ययन के माध्यम से उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी मांगों और मुद्दों को उठाने का तरीका सीखने में मदद मिलती है। जनजातीय समुदायों के समर्थन पर ध्यान देने से उनके समाज में समानता और विकास की प्रक्रिया को संवर्द्धन किया जा सकता है। संघर्ष के माध्यम से जनजातीय समुदाय अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और अपने विकास के लिए निरंतर प्रयास कर सकते हैं।

सांविधानीकरण और आरक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से जनजातीय समुदायों को समाज में जिम्मेदारी और सम्मान मिलता है। इससे उनका सामाजिक सम्मान बढता है और वे समाज के साथी बनकर समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इस अध्ययन से उन्हें अपनी पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए नए उपायों का पता चलता है, जिससे उन्हें अपनी पहचान और विरासत को संरक्षित रखने में सहायता मिलती है। सामाजिक संगठन के विकास से जनजातीय समुदाय अपने मुद्दों को संघर्ष करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं और राजनीतिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। इससे उनके समाज में समानता, समरसता और संवृद्धि का निर्माण होता है। इस प्रकार, मध्यप्रदेश के जनजातीय समुदायों के राजनीतिक अभिविन्यास का अध्ययन समाज और राजनीति में समानता, समरसता और समृद्धि को बढाने में महत्वपूर्ण योगदान करता है।

****

संदर्भ ग्रंथ सूची:
1.राजनीतिक संस्कृति, ई-ज्ञानकोष पेज-17
2.जनजातीय कार्य मंत्रालय म.प्र. की वेबसाइट अनुसार जनसांख्यिकीय, 2011
3.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, विशेष रिपोर्ट मई 2012

Youths and Hobbies

Sri. Mallikarjun Murigeyya
Hiremath
Assistant Professor
HOD of Sociology
Mo.9480534820

Men are differ from animals due to his thinking, expression and creativity. Youths are more creative, energetic and productive in this stage. So the stage of youth and youths are playing vital role in national progress and development. Therefore solid and strong youths are the sources of the best future of our nation and globe. Youth- He/she is fruitful to his/her own family, to society and even to his /her own self, when they are rich, in the sense of good health, sense of rationality, scientific outlook, spirituality, tender feelings towards nature and environment, motto of universal service and love etc.

Hobby is an activity or interest pursued for pleasure or relaxation and not as a main occupation. It is supportive to or supplementary to the main occupation of his / her life. There is a **clear difference** between hobby and habit**. Hobby is a regular or repetitive activity that is done for enjoyment**/ pleasure. Whereas **a habit is a regular action or behavior that is acquired through frequent repetition**, which may causes positive or negative result.

Personality of Youths is glorifying and respecting on their hobbies, which are being as their routine. Hobbies are playing dominant role in furnishing their leisure time as pleasant and profitable. So it's very difficult to find a men /women who is **without hobby in his/her life**. These activities are help us in keeping our mind and body in a relaxed and refreshed mood. Moreover hobbies are increase our productivity and improve our overall health.

Hobbies of Modern Youth

Today's youths are growing with their own hobbies day by day. Young generation want to be fulfilled variety of interests and wishes. For example, few wants to get pleasure from life, others - thrills, others- adventures, others-to enhance their self - esteem and few are simply like to learn something. It's important for the parents to be aware of all the all the hobbies that are somehow present in the life of their child or teenager or an adult, but also a boy or a girl.At present, Hobbies are categories in three in broader sense:-

1. Creative hobbies.
2. Sports/ healthy hobbies and
3. Others.

Creative hobbies: We can say that young boys and girls are more interested in hobbies, which are related to